न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 42/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. सीतादेवी पत्नी ईराराम		1. मसरा पुत्र सांवला
2. रेशीदेवी पत्नी गजाराम		2. छगना पुत्र सांवला
3. मरगादेवी पत्नी कालाराम		3. ईराराम पुत्र सांवला
4. कालाराम पुत्र रावता		4. मांगीलाल पुत्र अगरा
5. गजाराम पुत्र रावता		5. दिनेश पुत्र अगरा
6. बाबुलाल पुत्र ईराराम		6. भावेश पुत्र अगरा जरिए नाबालिग कुदरती वलीया माता
7. पारसाराम पुत्र ईराराम		
8. शेराराम पुत्र ईराराम		7. नेनूदेवी पत्नी अगरा
9. उत्तम कुमार पुत्र ईराराम		8. नेनूदेवी पत्नी अगरा
10. चना पुत्री ईराराम		9. दयाली पुत्री अगरा
11. उबरी पुत्री ईराराम		10. गलाबी पुत्री अगरा जातिगण मेघवाल, निवासीगण निम्बोडा, तहसील भीनमाल
12. सवीता पुत्री ईराराम		
13. रोमा पुत्री ईराराम जातिगण मेघवाल निवासीगण निम्बोडा तहसील भीनमाल		11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीनमाल

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सैय्यद मुमताज अली, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 10
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 11 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

–: निर्णय :–

दिनांक : 14.8.2018

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी भीनमाल द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2017 मसरा वगैरा बनाम सीतादेवी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम निम्बोडा के खसरा नम्बर 319 रकबा 2.50 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम की भूमि में आवागमन हेतु अपीलाण्ट्स की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि ग्राम निम्बोडा के खसरा नम्बर 317 रकबा 2.01 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में से तीस फिट रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज होने लायक ही नहीं था, क्योंकि रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग खसरा नम्बर 321 पूर्व से ही मौजूद था। इस मार्ग का उल्लेख भू0अ0नि0 द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें भी किया गया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट की भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व विधि के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी की गई है। आदेश पारित करने से पूर्व समस्त पक्षकारों के नोटिस भी तामील नहीं हुए, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। इसके अतिरिक्त भी वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने की दशा में नया मार्ग स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतः नजरअन्दाज किया है। इस कारण जैर अपील आदेश अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स की भूमि में आवागमन का कोई मार्ग नहीं होने के कारण रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया। अपीलाण्ट के नाम जारी नोटिस विधिवत तामील हुए है तथा अपीलाण्ट्स को समुचित अवसर प्रदान कराने के उपरान्त भी अपीलाण्ट संख्या 1 से 8 के अतिरिक्त किसी अन्य अपीलाण्ट ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिसमें रेस्पोडेन्ट्स की भूमि में आवागमन के मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये रास्ते का अनुतोष प्रदान किया है, जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त प्रक्रिया की पालना करते हुए आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ग्राम निम्बोडा के खसरा नम्बर 319 रकबा 2.50 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम की भूमि में आवागमन हेतु अपीलाण्ट्स की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि ग्राम निम्बोडा के खसरा नम्बर 317 रकबा 2.01 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में से तीस फिट रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत खातेदारी भूमि में पहुँच हेतु रास्ता प्रदान करने के प्रावधान

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

है, जिसके तहत मुख्य रूप से तीन बिन्दुओं को विवेचित किया जाना आवश्यक होता है, जिस पर सम्पूर्ण प्रकरण आधारित होता है, वे बिन्दु इस प्रकार है – (1) रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, जो मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं हो, (2) वैकल्पिक मार्ग का अभाव एवं (3) निकटतम एवं लघुतम मार्ग। हस्तगत प्रकरण का इन तीनों बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने पर निम्न स्थिति प्रकट होती है –

(1) रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, जो मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं हो। इस बिन्दु के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार भीनमाल द्वारा अपने पत्रांक/187 दिनांक 12.01.2017 एवं के द्वारा न्यायालय के समक्ष जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 319 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 321 के लोर लोर पगडण्डी उपलब्ध है, जो खसरा नम्बर 319 तक उपयोग में लिया जा रहा है। मौके पर पगडण्डी के रूप में रास्ता उपलब्ध होते हुए नये रास्ते की मांग करना आत्यांतिक आवश्यकता की श्रेणी में परिलक्षित नहीं होकर निर्विवादित रूप से सुविधाजनक उपयोग की श्रेणी में परिलक्षित होता है, जो विधि सम्मत नहीं है।

(2) वैकल्पिक मार्ग का अभाव – इस बिन्दु के संबंध में परीक्षण करने पर वही स्थिति प्रकट होती है, जिसका विवेचन बिन्दु संख्या 1 में किया गया है। चूंकि खसरा नम्बर 319 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 321 के सहारे सहारे पगडण्डी के रूप में रास्ता उपलब्ध है, जो खसरा नम्बर 316 से 319 को जोडता है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट्स की जोत में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना प्रमाणित होता नहीं है, जिसके कारण प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत नये मार्ग की मांग किया जाना न्यायोचित नहीं है।

(3) निकटतम एवं लघुतम मार्ग – चूंकि बिन्दु संख्या 1 व 2 दोनों की रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में सिद्ध नहीं हुए है। वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध नहीं होने के कारण निकटतम एवं लघुतम मार्ग का बिन्दु स्वयंमेव गौण हो जाता है। तद्नुसार यह बिन्दु भी प्रार्थी/अपीलाण्ट के पक्ष में साबित नहीं होता है।

इस प्रकार विशिष्ठ रूप से नया मार्ग कायम करने हेतु जो आज्ञापक प्रावधान विधि में प्रदत्त किए गए है, उन प्रावधानों को प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा किसी भी रूप में अपने पक्ष में साबित नहीं किया गया है। डी0एन0जे0 2017 पेज 1 गिरदावरी जाट व अन्य बनाम सुल्तानराम व अन्य में प्रतिपादित किया कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 251ए–प्रार्थी की आराजी से रास्ता स्वीकृत करने का आदेश–अप्रार्थीगण का मामला नहीं कि मुरब्बा संख्या 48 से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध आधार पर नहीं है – सुलभ मार्ग प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा काश्तकार सुलभ मार्ग के आधार पर नये रास्ते का दावा नहीं कर सकता–अप्रार्थीगण उपलब्ध रास्ते का उपयोग कर रहे हैं–निर्णित, निचले न्यायालयों ने रास्ता स्वीकृत करने में त्रुटी की है तथा अपास्त होने योग्य है।" इस धारा में

उपखण्ड अधिकारी
पाली

"absolute necessary" एवं "bsence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट इस कसौटी पर खरा उतरने में नाकामयाब हुए है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होते हुए भी रास्ते का अनुतोष प्रदान किया गया है तथा प्रकरण में जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई है, वह भी उभयपक्ष की अनुपस्थिति में तैयार की गई है, जबकि विधि में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ते हेतु तैयार की जाने वाली मौका रिपोर्ट उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार की जानी आवश्यक है तथा साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक बिन्दु यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं लघुतम मार्ग एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव, इन बिन्दुओं को मौका रिपोर्ट में रेखांकित किया जाना आज्ञापक है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें इन समस्त तथ्यों का अभाव सिद्ध हुआ है। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी भीनमाल द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2017 मसरा वगैरा बनाम सीतादेवी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे Observation को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान् को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 14.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर